

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

उपेन्द्र नारायण महतो,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)
संलग्न विवरणी अनुसार।

पटना, दिनांक /

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजनान्तर्गत राजकीय, राजकीयकृत एवं सहायकता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के कक्षा 1 से 4 तक अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने हेतु कुल रूपये 30,30,22,000 /-(तीस करोड़ तीस लाख बाईस हजार रूपये) मात्र राशि का आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01-प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-109-छात्रवृत्तियाँ एवं प्रोत्साहन, उप शीर्ष-0105-प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति, विषय शीर्ष-34 01-छात्रवृत्ति/वजीफा, विपत्र कोड संख्या-पी 2202011090105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल राशि रू0 30,30,22,000 /-(तीस करोड़ तीस लाख बाईस हजार रूपये) मात्र आपको संलग्न विवरणी अनुसार राशि आवंटित की जाती है।

- 2 यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि0-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009, 423 दिनांक-31.03.2016, 2793 दिनांक-04.04.2016 एवं 4572 दिनांक-03.06.2016 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
- 3 उपर्युक्त आवंटन स्वीकृत्यादेश संख्या-79 दिनांक-21.02.2017 के आलोक में आवंटित है।
- 4 इस राशि की निकासी एवं व्यय स्वीकृत्यादेश संख्या-79 दिनांक-21.02.2017 में अंकित प्रावधानों के अनुसार की जाय।
- 5 आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- 6 इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं संभ्रमा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
8. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना वित्त विभाग को यथा समय उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित रूप से विशेष दूत से उपलब्ध करा दिया जाय।
9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
10. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।
11. मितव्ययिता अवश्य बरतें।
12. वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रथम अनुपूरक आगणन द्वारा विपत्र कोड-पी 2202011090105, विषय शीर्ष-34 01-छात्रवृत्ति/वजीफा में रू० 50,00,00,000/- (पचास करोड़ रुपये) मात्र अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई है।


विश्वासभाजन,
ह०/-

(उपेन्द्र नारायण महतो),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 272

पटना, दिनांक:- 23/1/17

प्रतिलिपि:- सभी कोषागार पदाधिकारी/राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/जिला पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०)/ सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा०शि०एवं सर्व शिक्षा अभियान)/अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


23.2.17
(उपेन्द्र नारायण महतो),
सरकार के उप सचिव।
G. C. S. S. S.

कक्षा 1 से 4 तक सामान्य कोटि के छात्र एवं छात्राओं हेतु

राज्य योजना अन्तर्गत मांग संख्या-21 मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-01-प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-109-छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन, उपशीर्ष-0105-प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति, विपत्र कोड-पी0 2202011090105 अंतर्गत विषय शीर्ष-34 01-छात्रवृत्ति/वजीफा में वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिलावार आवंटित राशि की विवरणी।

क्र० सं०	जिला का नाम	पूर्व में आवंटित राशि (रु० में)	तत्काल आवंटित राशि (रु० में)	कुल आवंटित राशि (रु० में)
1	2	4	5	6
1	अररिया	0	2839800	2839800
2	अरवल	0	820800	820800
3	औरंगाबाद	0	4647000	4647000
4	बांका	0	3366000	3366000
5	बेगूसराय	0	9892800	9892800
6	भागलपुर	0	8949600	8949600
7	भोजपुर	0	7749600	7749600
8	बक्सर	0	5312400	5312400
9	दरभंगा	0	19725600	19725600
10	गया	0	8482800	8482800
11	गोपालगंज	0	5556600	5556600
12	जमशुई	0	4682400	4682400
13	जहानाबाद	0	2348400	2348400
14	कैमूर	0	2520000	2520000
15	कटिहार	0	24631200	24631200
16	खगड़िया	0	2823000	2823000
17	किशनगंज	0	26361600	26361600
18	लखीसराय	0	3657000	3657000
19	मधेपुरा	0	2568600	2568600
20	मधुबनी	0	15630600	15630600
21	मुंगेर	0	2964600	2964600
22	मुजफ्फरपुर	0	13449000	13449000
23	नालन्दा	0	4306800	4306800
24	नवादा	0	6355200	6355200
25	पश्चिमी चम्पारण	0	8711400	8711400
26	पटना	0	7368400	7368400
27	पूर्वी चम्पारण	0	16243800	16243800
28	पुर्णिया	0	5023200	5023200
29	रोहतास	0	6354000	6354000
30	सहरसा	0	5133000	5133000
31	समस्तीपुर	0	9856800	9856800
32	सारण	0	11890800	11890800
33	शेखपुरा	0	2002200	2002200
34	शिवहर	0	3415200	3415200
35	सीतामढ़ी	0	15073800	15073800
36	सिवान	0	7297200	7297200
37	सुपौल	0	9193200	9193200
38	वैशाली	0	5817600	5817600
	कुल	0	303022000	303022000

कुल (तीस करोड़ तीस लाख बाईस हजार) रुपये मात्र।

(उपेन्द्र नारायण महतो)

सरकार के उप सचिव।